इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 सितम्बर 2018—भाद्र 30, शक 1940

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2018

फा. क्र. 3930-इक्कीस-ब (दो)-2018.—राज्य शासन, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 24 की उपधारा (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिये महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर में इस विभाग के आदेश क्र. 3226, दिनांक 28 जुलाई 2018 द्वारा निरन्तर किये गये समस्त विधि अधिकारियों को, उपरोक्त दिनांक से आगामी 06 माह के लिये अपर लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2018

फा. क्र. 3(ए) 2017-इक्कीस-ब(एक)-3523.—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2017 की चयन सूची दिनांक 21 नवम्बर 2017 में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा 2017, बार से सीधी भर्ती के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री विजय पाल सिंह चौहान पुत्र स्व. श्री मेहताब सिंह चौहान (मेरिट क्र. 20) को नियुक्ति के लिये अपात्र पाए जाने के कारण, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री विजय पाल सिंह चौहान पुत्र स्व. श्री मेहताब सिंह चौहान का नाम चयनित जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) बार से सीधी भर्ती की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्र. 20 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करता है.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2018

क्रमांक-आर-1868-957-2018-दस-2.—मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता नियम, 2004 के नियम 17 के उप-नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, जैव संसाधनों तक पहुंच के लिए लाभ प्रभाजन (अनुमोदन प्रदान करने) हेतु व्यापारियों एवं विनिर्माताओं के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित करने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

अ. **व्यापारियों तथा विनिर्माताओं से अनुबंध—**

1. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता मंडल या सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता मंडल द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (सम्पूर्ण मध्यप्रदेश).

ब. **व्यापारियों से अनुबंध—**

1. समस्त क्षेत्रीय संभागीय वनमण्डलाधिकारी या पदेन सहायक सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता मंडल (अपनी अधिकारिता के भीतर).

No. R-1868-957-2018-X-2.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 17 of the Madhya Pradesh State Biodiversity Rules, 2004, the State Government, hereby, authorizes the following Officers to sign Benefit Sharing Agreement for Access to Biological Resources (Grant of Approval) with Traders and Manufacturers, as under :—

A. Agreement with Traders and Manufacturers—

1. Member Secretary, Madhya Pradesh State Biodiversity Board, or Officer authorized by Member Secretary, Madhya Pradesh State Biodiversity Board (Whole Madhya Pradesh).

B. Agreement with Traders—

1. All Territorial Divisional Forest Officer or Ex-Officio Assistant Member Secretary, Madhya Pradesh State Biodiversity Board (Within Jurisdiction).

क्रमांक आर-1868-957-2018-दस-2.—मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता नियम, 2004 के नियम 17 के उप-नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, समस्त क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं समस्त क्षेत्रीय वन संरक्षक/संभागीय वन मंडलाधिकारी को निम्नानुसार मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता मंडल के पदेन अधिकारियों के रूप में घोषित करती है, अर्थात् :—

1.	मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्राधिकारिता)	पदेन संयुक्त सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता मण्डल
2.	वन संरक्षक/संभागीय वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्राधिकारिता)	पदेन सहायक सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता मण्डल

No. R-1868-957-2018-X-2.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 17 of the Madhya Pradesh State Biodiversity Rules, 2004, the State Government, hereby, declares all Territorial Chief Conservator of Forests and all Territorial Conservator of Forests/Divisional Forest Officers as Ex-Officio Officers of Madhya Pradesh State Biodiversity Board as under namely :—

1.	Chief Conservator of Forests (Territorial)	Ex-Officio Joint Member Secretary, Madhya Pradesh, State Biodiversity Board.
2.	Conservator of Forests/Divisional Forest officer (Territorial)	Ex-Officio Assistant Member Secretary, Madhya Pradesh State Biodiversity Board.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.